



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12042023-245120
CG-DL-E-12042023-245120

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1630]
No. 1630]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 12, 2023/चैत्र 22, 1945
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 12, 2023/CHAITRA 22, 1945

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2023

का.आ. 1709(अ).— कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा कोयला मंत्रालय में दिनांक 7 मई, 1960 को जारी पत्र संख्या सी2-21(1)/60 के जरिए भारत सरकार के आदेश में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

2. उक्त आदेश में, निबंधन एवं शर्तें संख्या (v) के पश्चात, निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तें शामिल की जाएंगी, अर्थात्:-

“(vi) खंड (4) के होते हुए भी, सरकारी कंपनी ऐसी निहित कुल भूमि में से खंड (7) में यथा-विनिर्दिष्ट भूमि के उक्त भाग को, कोयला मंत्रालय में तारीख 22 अप्रैल, 2022 के कार्यालय ज्ञापन सं. 43022/1/2020-एलएआईआर के जरिए भारत सरकार द्वारा जारी कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि के उपयोग के लिए नीतिगत दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी अन्य व्यक्ति को पट्टे पर दे सकती है; और

(vii) तारीख 07 मई, 1960 के उपर्युक्त पत्र द्वारा उक्त सरकारी कंपनी को कुल 1584.10 एकड़ (लगभग) भूमि निहित की गई थी। कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के तहत जारी और भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित तारीख 18 मार्च, 1960 की अधिसूचना का.आ. 703 के अनुसार, ग्राम –

हीरापुर, रामचन्द्रपुर, सूर्यमनियौर, बड़ासिंगाड़ा, तेंतुलई, केंदुपली, जगनबन्धपुर, तहसील – तलचर, जिला-अंगुल, ओडिशा में **1584.10 एकड़** भूमि अधिग्रहीत की गई थी, जिसमें से ग्राम हीरापुर के 313.54 एकड़, प्लॉट संख्या 11 और 20 [नया नाम कोइलानगर (एचएएल आवासीय क्षेत्र), एचएएल खाता-07 और प्लॉट संख्या - 213] में से **01 (एक) एकड़** भूमि का उपयोग तारीख 22 अप्रैल, 2022 के नीतिगत दिशा-निर्देशों में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों की पूर्ति के अद्ययधीन अधिकतम 30 वर्ष की पट्टा अवधि के लिए मेसर्स इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) के अमोनियम नाइट्रेट वेयरहाउस की स्थापना के लिए किया जा सकता है।”

[फा. सं. 43022/15/2022-एलएएंडआईआर]

भबानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 2023

S.O. 1709(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby make the following amendments in the Order of the Government of India in the Ministry of Coal vide letter no. C2-21(1)/60 issued on 7th May, 1960:-

2. In the said Order, after terms and conditions number (v), the following terms and condition shall be inserted, namely:-

“(vi) Notwithstanding clause (4), the Government company may grant the said part of land as specified in clause (7) out of the total land so vested, on lease to any other person in accordance with the Policy Guidelines for use of land acquired under the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 issued by Government of India in the Ministry of Coal vide OM No. 43022/1/2020-LAIR dated 22nd April, 2022; and

(vii) The total 1584.10 acres (approximately) land was vested to the said Government company vide above letter dated 07 May, 1960. As per notification S.O. 703 dated 18th March, 1960 issued under section 9(1) of CBA (A&D) Act, 1957 and published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), the **1584.10 acres** of land was acquired in villages-Hirapur, Ramachandrapur, Suryamaniour, Badasingada, Tentulei, Kendupali, Jaganabandhpur, Tahsil-Talcher, District-Angul, Odisha, out of which **01 (One) Acre** land of village Hirapur having 313.54 Acres, Plot No.11 & 20 [New name is Koilanagar (HAL Settlement), HAL Khata-07 and Plot number-213] can be used for establishment of Ammonium Nitrate Warehouse of M/s. Indian Oil Corporation Limited (IOCL) for a maximum lease period of 30 years, subject to fulfillment of the terms and conditions mentioned in the Policy Guidelines dated 22nd April, 2022.”

[F. No. 43022/15/2022-LA&IR]

BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy.